उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 20 अगस्त, 1974 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 22 अगस्त, 1974 ई० को बैठक में स्वीकृति किया ।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 सितम्बर, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 30 सितम्बर, 1974 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

कतिपय राष्ट्रपति अधिनियमों को निरसित तथा उन्हें कतिपय परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

2—निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम, अर्थात्:— राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973, संख्या 13, 1973, संख्या 14, 1973, संख्या 18, 1973, संख्या 19, 1973, तथा संख्या 20, 1973 का निरसन तथा पुनः अधिनियमन

(क) उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973);

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973);

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 14, 1973);

(घ) उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 18, 1973);

(ङ) उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 19, 1973); तथा

(च) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 20, 1973),

एतद्द्वारा, निरसित, तथा अनुसूची में दिये गये परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित किये जाते हैं ।

उद्देश्य और कारणों के लिए कृपया दिनांक 17 अगस्त, 1974 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिये)

क्रम-संख्या	राष्ट्रपति अधिनियमों के नाम	परिष्कारों का विस्तार
1	2	3
1	उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973)।	अधिनियम के शीर्षक में शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।
2	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973)।	(क) अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें। (ख) अधिनियम की धारा 2 में, पद "परिषद्", "कलक्टर" तथा "विनियम" की, खण्ड (i), खण्ड (ii) तथा खण्ड (iv) द्वारा क्रमशः अन्तःस्थापित परिभाषाओं में, कोष्ठक तथा अक्षर '(कक),' '(घघ)' और '(थथ)' के स्थान पर, कोष्ठक अक्षर तथा अंक '(क-1)', '(घ-1)' और '(थ-1)' रख दिये जायें।
3	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 14, 1973)।	अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।
4	उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 18, सन् 1973)।	(क) अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जाएं तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें। (ख) अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (क) में अंक तथा शब्द "30 सितम्बर, 1974" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 मार्च, 1975" रख दिये जायें।
5	उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 19, 1973)।	अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।
6	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 20, 1973)।	(क) अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें। (ख) अधिनियम की धारा 2 में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष और छः मास" रख दिये जायें।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 224 सा० (विधा०) 1903--1974--1805 (मे०)।

THE UTTAR PRADESH PRESIDENT'S ACTS (RE-ENACTMENT WITH MODIFICATIONS) ACT, 1974

[U. P. Act No. 30 of 1974]

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Rashtrapati Adhiniyam (Parishkaron Sahit Punah Adhiniyamon) Adhiniyam, 1974.*]

AN

ACT

to repeal certain President's Acts and to re-enact the same with certain modifications

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974.

Repeal and re-enactment of President's Acts No. 11 of 1973, No. 13 of 1973, No. 14 of 1973, No. 18 of 1973, No. 19 of 1973, and No. 20 of 1973.

2. The following President's Acts, namely :—

(*a*) the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973);

(*b*) the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Act, 1973 (President's Act no. 13 of 1973);

(*c*) the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 1973 (President's Act no. 14 of 1973);

(*d*) the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Third Amendment Act, 1973 (President's Act no. 18 of 1973);

(*e*) the Uttar Pradesh Civil Laws (Amendment) Act, 1973 (President's Act no. 19 of 1973); and

(*f*) the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Amendment Act, 1973 (President's Act no. 20 of 1973),

are hereby repealed, and re-enacted with the modifications set out in the Schedule.

[*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)* dated August 17, 1974.]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 20, 1974 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 22, 1974.)

(Received the Assent of the President on September 28, 1974 under Article 201, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary* dated ptem ber 1974.)

SCHEDULE

(*See* SECTION 2)

Serial no.	Name of the President's Acts	Extent of Modifications
1	2	3
1	The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973).	In the title of the Act, the words "Enacted by the President in the Twenty-fourth Year of the Republic of India" shall be *omitted* and *for* the existing preamble, the words "It is hereby enacted as follows" shall be *substituted* :
2	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Act, 1973 (President's Act no. 13 of 1973).	(*a*) In the title of the Act, the words "Enacted by the President in the Twenty-fourth Year of the Republic of India" shall be *omitted,* and *for* the existing preamble, the words "It is hereby enacted as follows" shall be *substituted.* (*b*) In section 2 of the Act, in the definitions of the expressions "Board", "Collector" and "Regulations" respectively *inserted* by clause (i), clause (ii) and clause (iv), *for* the brackets and letters "(*aa*)", "(*dd*)" and "(*qq*)", the brackets, letters and numbers "(*a*-1)", "(*d*-1)" and "(*q*-1)" shall respectively be *substituted.*
3	The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 1973 (President's Act no. 14 of 1973).	In the title of the Act, the words "Enacted by the President in the Twenty-fourth Year of the Republic of India" shall be *omitted,* and *for* the existing preamble, the words "It is hereby enacted as follows" shall be *substituted* :
4	The Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) (Third Amendment) Act, 1973 (President's Act no. 18 of 1973).	(*a*) In the title of the Act, the words "Enacted by the President in the Twenty-fourth Year of the Republic of India" shall be *omitted,* and *for* the existing preamble, the words "It is hereby enacted as follows" shall be *substituted.* (*b*) In section 2 of the Act, in clause (*a*), *for* the word and figures "September 30, 1974" the word and figures "March 31, 1975" shall be *substituted.*
5	The Uttar Pradesh Civil Laws (Amendment) Act, 1973 (President's Act no. 19 of 1973).	In the title of the Act, the words "Enacted by the President in the Twenty-fourth Year of the Republic of India" shall be *omitted,* and *for* the existing preamble, the words "It is hereby enacted as follows" shall be *substituted* :
6	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Amendment) Act, 1973 (President's Act no. 20 of 1973).	(*a*) In the title of the Act, the words "Enacted by the President in the Twenty-fourth Year of the Republic of India" shall be *omitted,* and *for* the existing preamble the words "It is hereby enacted as follows" shall be *substituted.* (*b*) In section 2 of the Act, *for* the words "three years", the words "three years and six months" shall be *substituted.*

PSUP—A. P. 225 Sa. Vidhayika—1904—1974—1823 (M.)